

प्रेषक,
रवि रंजन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
कृषि निदेशक,
उ०प्र०, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5

लखनऊ:दिनांक:

15 सितम्बर, 2023

विषय:- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0-कुसुम) योजना की वित्तीय वर्ष 2023-24 की संशोधित कार्ययोजना की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपयुक्त विषयक आपके पत्रांक-सोलर/350/पी0एम0कुसुम/कार्य0यो0/2023-24, दिनांक 05 सितम्बर, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0-कुसुम) योजना की वित्तीय वर्ष 2023-24 की संशोधित कार्ययोजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

1-प्रस्तावना:-

शासनादेश संख्या-1018/12-3-2020-100(10)/2014 टी0सी0-1, दिनांक 23.07.2020 द्वारा प्रदेश के कृषकों को सोलर फोटोवोल्टाइक इरीगेशन पम्प की स्थापना हेतु राज्य सेक्टर के अनुदान की पी0एम0-कुसुम योजना को वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु कार्ययोजना की प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-51/2023/608/2378737/2023/12-5099/24/2022, दिनांक 19.05.2023 द्वारा प्रदान की गयी है।

प्रदेश में सिंचाई हेतु विद्युत रहित क्षेत्रों में नये एवं पूर्व से प्रयोग किये जा रहे डीजल पम्पसेट तथा अतिदोहित/क्रिटिकल क्षेत्रों में उपलब्ध डीजल पम्पसेट को परिवर्तित कर 2 एच0पी0 (डी0सी0/ए0सी0) से 10 एच0पी0(डी0सी0/ए0सी0) तक के स्टैण्ड एलोन सोलर पम्पों की स्थापना करायी जायेगी। भारत सरकार के मिनिस्ट्री आफ न्यू एण्ड रिन्यूवेबल एनर्जी द्वारा "प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0-कुसुम)" की निर्गत गाइडलाइन के अनुसार प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत सोलर पम्पों की स्थापना से जहाँ एक ओर विद्युत ऊर्जा की बचत होगी, वहीं सोलर पम्प के संचालन के लिए ईंधन आदि का कोई आवर्ती व्यय नहीं होगा।

2-योजना का उद्देश्य:-

स्टैण्ड एलोन सोलर पम्पों की स्थापना के उद्देश्य निम्नवत है:-

- जलवायु परिवर्तन के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन की तीव्रता को कम करना।
- सोलर पम्प की स्थापना से सिंचाई लागत को कम करना।
- विद्युत रहित क्षेत्र में उपलब्ध डीजल पम्प अथवा सिंचाई के अन्य साधनों के स्थान पर सोलर पम्प से सिंचाई को बढ़ावा देना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3-अनुदान का विवरण:-

भारत सरकार के मिनिस्ट्री आफ न्यू एण्ड रिन्यूवेबल एनर्जी के पत्र संख्या-32/645/2017-एस.पी.वी. डिविजन, दिनांक 22.07.2019 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार विभिन्न क्षमता के 7.5 एच0पी0 तक के स्टैण्ड एलोन सोलर पम्पों की स्थापना पर बेन्चमार्क कास्ट का 30 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 30 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत का अनुदान अनुमन्य किया गया है तथा 10 एच0पी0 के सोलर पम्पों पर 7.5 एच0पी0 के सोलर पम्पों पर अनुमन्य अनुदान की धनराशि राज्यांश के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

कृषि अवस्थापना निधि के अन्तर्गत स्टैण्ड एलोन सोलर पम्पों हेतु इच्छुक कृषक आवश्यक कृषक अंश का बैंक से ऋण लेकर धनराशि जमा कर सकते हैं, जिस पर केन्द्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 3 प्रतिशत कुल 6 प्रतिशत की छूट ब्याज में प्रदान किये जाने का प्राविधान है। सम्बन्धित इच्छुक कृषक ब्याज में छूट हेतु अपनी नजदीकी बैंक शाखा से सम्पर्क कर उक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

4-कार्यक्षेत्र:- प्रदेश के समस्त 75 जनपद।

5-भौतिक लक्ष्य:-

वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु प्रति पम्प अनुदान एवं कृषक अंश:-

एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-32/645/2017/SPV-Division, दिनांक 25.07.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी दरें एवं पत्रांक-32/24/2020-SPV Division, दिनांक 04.09.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी बेन्चमार्क कास्ट के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु सोलर पम्पों का क्षमतावार अनुदान एवं कृषक अंश का विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि रू0 में)

क0सं0	सोलर पम्प की क्षमता	सोलर पम्प का प्रकार	निविदा मूल्य प्रति पम्प जी0एस0टी0 सहित (यू0एस0पी0सी0 रहित)	बेन्चमार्क मूल्य प्रति पम्प जी0एस0टी0 सहित (यू0एस0पी0सी0 रहित)	अनुदान प्रति पम्प			कृषक अंश प्रति पम्प
					केन्द्रांश	राज्यांश	योग	
1	1800 वाट 2 एच0पी0	डी0सी0 सरफेस पम्प	171716	145797	43739	43739	87478	84238
		ए0सी0 सरफेस पम्प	171716	145797	43739	43739	87478	84238
		डी0सी0 सबमर्सिबल पम्प	174541	145797	43739	43739	87478	87063
		ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	174073	145797	43739	43739	87478	86595
2	3000 वाट 3 एच0पी0	डी0सी0 सबमर्सिबल पम्प	232721	190523	57157	57157	114314	118407
		ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	230445	190523	57157	57157	114314	116131
3	4800 वाट 5 एच0पी0	ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	327498	293500	88050	88050	176100	151398
4	6750 वाट 7.5 एच0पी0	ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	444094	397806	119342	119342	238684	205410
5	9000 वाट 10 एच0पी0	ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	557620	506960	119342	119342	238684	318936

नोट-जी0एस0टी0 की दरें घटने/बढ़ने पर केन्द्रांश, राज्यांश एवं कृषक अंश प्रभावित होगा, जिसका शासन से अनुमति प्राप्त कर दरों को संशोधित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के भौतिक लक्ष्य एवं अनुमानित अनुदान का विवरण:-

एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-32/54/2018-एस0पी0वी0 डिवीजन, दिनांक 23.01.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु कुल 30000 अदद् सोलर पम्पों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष अनुदान का विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क0सं0	सोलर पम्प की क्षमता	सोलर पम्प का प्रकार	भौतिक (सं0 में)	केन्द्रांश	राज्यांश	योग
1	1800 वाट 2 एच0पी0	डी0सी0 सरफेस पम्प	1200	524.87	524.87	1049.74
		ए0सी0 सरफेस पम्प	1200	524.87	524.87	1049.74
		डी0सी0 सबमर्सिबल पम्प	500	218.70	218.70	437.40
		ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	500	218.70	218.70	437.40
2	3000 वाट 3 एच0पी0	डी0सी0 सबमर्सिबल पम्प	7000	4000.99	4000.99	8001.98
		ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	7000	4000.99	4000.99	8001.98
3	4800 वाट 5 एच0पी0	ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	9000	7924.50	7924.50	15849.00
4	6750 वाट 7.5 एच0पी0	ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	2500	2983.55	2983.55	5967.10
5	9000 वाट 10 एच0पी0	ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	1100	1312.76	1312.76	2625.52
6	विविध व्यय	-	-	-	75.00	75.00
	योग		30000	21709.93	21784.93	43494.86

नोट:- क्षमतावार, संस्थावार एवं जनपदवार लक्ष्यों का निर्धारण मुख्यालय स्तर से कृषि निदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदनों परान्त योजनाधिकारी द्वारा किया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन के दौरान किसी भी प्रकार के लक्ष्य में संशोधन की आवश्यकता होने पर कृषि निदेशक के अनुमोदन के उपरान्त योजनाधिकारी द्वारा जनपदवार/क्षमतावार/संस्थावार लक्ष्यों का परिवर्तन किया जायेगा, तद्नुसार विभागीय पोर्टल पर भी संशोधन किया जायेगा, जिससे भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति हो सके।

6- वर्ष 2023-24 के वित्तीय लक्ष्य:-

वित्तीय वर्ष 2023-24 के 30000 अदद् सोलर पम्पों हेतु धनराशि रू0 21784.93/- लाख की आवश्यकता होगी।

7-लाभार्थी पात्रता एवं चयन:-

पात्रता एवं चयन के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है:-

- I. कृषि विभाग की वेबसाइट www.upagriculture.com पर पंजीकृत कृषकों को सोलर पम्प हेतु बुकिंग करनी होगी।
- II. 22 फिट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 2 एच0पी0 सरफेस सोलर पम्प तथा 50 फिट तक की गहराई पर उपयुक्त जल स्तर हेतु 2 एच0पी0 सबमर्सिबल उपयुक्त होते हैं। इसी प्रकार 150 फिट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 3 एच0पी0 एवं 200 फिट गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 5 एच0पी0 तथा 300 फिट तक गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 7.5 एच0पी0 एवं 10 एच0पी0 के सोलर पम्प उपयुक्त होंगे। इसके आधार पर कृषकों को सोलर पम्प हेतु चयन किया जायेगा।

8- कृषकों की चयन प्रक्रिया:-

- I. सोलर फोटोवोल्टैईक सिंचाई पम्प अनुदानित दर पर प्राप्त करने के लिए किसान को विभागीय पोर्टल पर आनलाइन पंजीकृत होना चाहिए। कृषक को विभागीय पोर्टल पर अपने पंजीकरण के सम्मुख क्षमतावार (2 एच0पी0 डी0सी0/ए0सी0, 3 एच0पी0 डी0सी0/ए0सी0, 5 एच0पी0 ए0सी0, 7.5 एच0पी0 एवं 10 एच0पी0 ए0सी0) सोलर पम्प का विकल्प चुनना होगा।
- II. सोलर पम्प हेतु कृषि विभाग के पोर्टल पर टोकन जारी करने की अलग से व्यवस्था की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- III. कृषकों का चयन टोकन प्रक्रिया के आधार पर "पहले आओ-पहले पाओ" के आधार पर किया जायेगा। आवेदन के समय कृषक को रू0 5000/- टोकन मनी के रूप में आनलाइन जमा करना होगा। सोलर पम्प हेतु बुकिंग जनपदवार एवं क्षमतावार आवंटित लक्ष्य के 110 प्रतिशत तक की जायेगी, परन्तु जनपदवार एवं क्षमतावार आवंटित लक्ष्य की सीमा तक ही टोकन कन्फर्म कर अवशेष कृषक अंश जमा करने हेतु टोकन निर्गत किये जायेगे। यदि कृषक द्वारा टोकन मनी जमा करने एवं टोकन कन्फर्म करने के पश्चात फर्म द्वारा सत्यापन के समय मौके पर उपयुक्त बोरिंग नहीं पायी जाती है तो आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा और टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- IV. टोकन/आवेदन स्वीकृत करने के एक सप्ताह के अन्दर कृषक द्वारा अवशेष कृषक अंश की धनराशि आनलाइन/आफलाइन जमा करनी होगी। निर्धारित तिथि के अन्दर अवशेष कृषक अंश की धनराशि जमा न करने पर आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा और टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- V. लक्ष्य अवशेष रहने की दशा में ही प्रतीक्षा सूची के कृषकों के टोकन कन्फर्म किये जायेगे। लक्ष्य अवशेष न रहने पर सम्बन्धित कृषक को टोकन मनी की धनराशि वापस कर दी जायेगी।
- VI. टोकन पर निम्न विवरण अंकित होगा:-
1. कृषक का पंजीकरण संख्या, कृषक का नाम, पिता का नाम, चयनित पम्प की क्षमता, तथा टोकन के रूप में जमा की जाने वाली कृषक अंश की धनराशि।
 2. कृषक अंश जमा करने का विवरण:-
 - (अ) बैंक का नाम- इण्डियन बैंक
 - (ब) शाखा का नाम- कृषि निदेशालय, लखनऊ
 - (स) बैंक खाता संख्या-7137069445
 - (द) आई0एफ0एस0सी0 कोड- IDIB000A530
 - (य) खाता धारक का नाम- नोडल अधिकारी(पी0एम0-कुसुम) एवंवरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी(प्रसार)
- VII. बैंक में धनराशि जमा होते ही धनराशि जमा की पुष्टि स्वतः पोर्टल के माध्यम से विभाग, सम्बन्धित फर्म(क्रिटिकल एवं अतिदोहित विकास खण्ड के कृषकों को छोड़कर) तथा सम्बन्धित उप कृषि निदेशक को प्राप्त हो जायेगी। कृषक अंश जमा करने की रसीद कृषकों को आनलाइन उपलब्ध करायी जायेगी।
- VIII. क्रिटिकल एवं अतिदोहित विकासखण्डों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के कृषकों की बोरिंग का सत्यापन उप कृषि निदेशक स्तर से कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कृषक द्वारा कृषक अंश की धनराशि जमा करने के पश्चात् ऐसे कृषकों की सूची सीधे फर्म के लागइन पर प्रदर्शित हो जायेगी। फर्म द्वारा बोरिंग/जलस्तर का सत्यापन 7 दिन के अंदर करते हुए तदनुसार सोलर पम्प की स्थापना की कार्यवाही की जायेगी। क्रिटिकल एवं अतिदोहित क्षेत्रों के कृषकों की बोरिंग का सत्यापन उप कृषि निदेशक द्वारा 7 दिन के अंदर सुनिश्चित कर सत्यापन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। सत्यापन के समय इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त किया जायेगा कि कृषकों के पास पूर्व से उपयुक्त बोरिंग उपलब्ध है एवं कृषक द्वारा सूक्ष्म सिंचाई का प्रयोग कर रहा है अथवा करेगा।
- IX. कृषकों का चयन एवं सत्यापन के समय यह देखा जायेगा कि 2 एच0पी0 के सोलर पम्प हेतु पंजीकृत किसान के पास 4 इंच, 3एच0पी0 एवं 5 एच0पी0 के लिए 6 इंच, 7.5 एवं 10 एच0पी0 सोलर पम्प के लिए 8 इंच की क्रियाशील बोरिंग तथा उपयुक्त जल स्तर उपलब्ध है। क्रियाशील बोरिंग तथा उपयुक्त जल स्तर उपलब्ध होने पर ही कृषकों का चयन किया जायेगा। चयनित कृषक की बोरिंग का व्यास तथा जल स्तर आदि का सत्यापन करते हुए दिनांक सहित सत्यापन रिपोर्ट फर्म/उप कृषि निदेशक द्वारा पोर्टल पर फीड करेंगे।
- X. बोरिंग सत्यापन के समय संबन्धित सोलर पम्प आपूर्तिकर्ता कम्पनी/उप कृषि निदेशक द्वारा निम्न प्रारूप पर कृषकों से प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा।

प्रारूप

मैं(नाम) पिता का नाम.....निवासी ग्रामवि0ख0.....जनपद..... का निवासी हूँ एवं घोषणा करता हूँ कि मेरे प्रक्षेत्र परएच0पी0 क्षमता का स्थापित सोलर पम्प का स्थल परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि मेरे द्वारा स्थल परिवर्तन किया जाता है तो सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि मुझसे वसूल कर ली जाये।

कृषक का नाम व हस्ताक्षर

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- XI. बोरिंग सत्यापन के समय यह भी सुनिश्चित किया जाये कि कृषक की बोरिंग पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं है।
- XII. बोरिंग सत्यापन के समय फर्म द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि कृषक का नाम एवं पता पोर्टल के अनुसार सही हो तभी कृषक के प्रक्षेत्र पर सोलर पम्प की स्थापना करायी जाये।
- XIII. सम्बन्धित संस्था द्वारा चयनित कृषक के प्रक्षेत्र पर भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पी0डी0आई0 कराते हुए सोलर पम्पों की आपूर्ति एवं स्थापना निर्धारित अवधि में करायी जायेगी।
- XIV. यदि सोलर पम्प आपूर्तिकर्ता संस्था निर्धारित अवधि के अन्दर सोलर पम्पों की आपूर्ति/ स्थापना नहीं करती है, तो क्षमतावार लक्ष्य किसी अन्य इच्छुक संस्था को स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे, जिसके मैसेज स्वतः नयी संस्था को पहुँच जायेंगे।

9-पोर्टल पर सोलर पम्प हेतु निर्धारित प्रक्रिया:-

विभागीय पोर्टल पर पी0एम0-कुसुम योजना हेतु निम्नलिखित व्यवस्था होगी:-

- I. मुख्यालय द्वारा जनपदवार, क्षमतावार एवं संस्थावार सोलर पम्पों के लक्ष्यों का आवंटन।
- II. कृषको का आनलाइन पंजीकरण(पूर्व से पंजीकृत कृषकों को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं)।
- III. कृषक द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार सम्बन्धित क्षमता के सोलर पम्प का चयन।
- IV. क्रिटिकल एवं अतिदोहित कृषकों के सत्यापन हेतु नामित कर्मचारियों के नाम का अंकन एवं सोलर पम्प हेतु चयनित कृषक की उप कृषि निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित सत्यापन रिपोर्ट अपलोड किया जाना।
- V. पोर्टल पर ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि जनपदीय उप कृषि निदेशक एवं मुख्यालय स्तर पर कृषकवार एवं सोलर पम्पों की क्षमतावार सूची पोर्टल पर आनलाइन उपलब्ध हो एवं डाउनलोड भी किया जा सके।
- VI. चयनित लाभार्थी सूची हेतु फर्म को यूजर आई0डी0 पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित फर्म द्वारा सिर्फ सोलर पम्प से सम्बन्धित चयनित कृषक के सम्बन्ध में ही विवरण देखा जा सके। आपूर्ति एवं स्थापित सोलर पम्प का विवरण फोटोग्राफ(कृषक एवं सोलर पम्प) एवं अन्य विवरण पोर्टल पर अपलोड कराने की व्यवस्था की जायेगी।

10- स्थापना एवं भुगतान प्रक्रिया:-

- I. आपूर्तिकर्ता फर्म एवं कृषि विभाग(मुख्यालय) के मध्य द्विपक्षीय एम0ओ0यू0 किया जायेगा, जिसमें सोलर पम्प की स्थापना, उसकी क्रियाशीलता एवं अनुरक्षण आदि का समावेश किया जायेगा।
- II. सम्बन्धित फर्म द्वारा स्थापित किये जाने वाले सोलर पम्पों का प्री-डिस्पैच निरीक्षण नियमानुसार किया जायेगा।
- III. चयनित फर्म द्वारा मैसेज प्राप्त होने के उपरान्त विभागीय पोर्टल से सूची प्राप्त कर लाभार्थी कृषक के प्रक्षेत्र पर निर्धारित अवधि के अन्दर सोलर पम्प की स्थापना सुनिश्चित कराते हुए सोलर पम्प की स्थापना का दिनांक लाभार्थी कृषक का फोटोग्राफ विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराया जायेगा।
- IV. पोर्टल से सम्बन्धित कार्यों एवं समय-समय पर आने वाली पोर्टल सम्बन्धी समस्याओं के निवारण हेतु सेवा प्रदाता द्वारा इसके लिए अलग से एक भिन्न कर्मचारी नियत किया जायेगा। सेवा प्रदाता का यह दायित्व होगा कि योजना अधिकारी की संस्तुति प्राप्त होने पर पोर्टल से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही उसी दिन पूर्ण करायेंगे।
- V. सोलर पम्प की स्थापना कराकर 01 सप्ताह के अन्दर आपूर्तिकर्ता फर्म बिल एवं सोलर पम्प के हैण्डिंग ओवर सर्टीफिकेट तथा स्थापित सोलर पम्प की फोटोग्राफ सम्बन्धित जिले के उप कृषि निदेशक को उपलब्ध करायेंगे।
- VI. सोलर पम्प की स्थापना की सूचना प्राप्त होने पर स्थापित सोलर पम्पों का सत्यापन उप कृषि निदेशक अपने जनपद में कार्यरत श्रेणी-2 के अधिकारी एवं जनपद में श्रेणी-2 के अधिकारी उपलब्ध न होने की दशा में ही जनपद में स्थित कृषि विभाग के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत वर्ग-1/वर्ग-2/वर्ग-3 के कर्मचारी से यथा आवश्यकतानुसार सत्यापन कार्य 10 दिवस के अन्दर पूर्ण करायेंगे। निर्धारित समय-सीमा में सत्यापन न कराने वाले उप कृषि निदेशक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी। फर्म द्वारा दिये गये हैण्डिंग ओवर सर्टीफिकेट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

पर सम्बन्धित फर्म के प्रतिनिधि, सम्बन्धित कृषक, श्रेणी-2 के अधिकारी एवं श्रेणी-2 के अधिकारी न होने की दशा में वर्ग-1/वर्ग-2/वर्ग-3 के कर्मचारी तथा जनपदीय उप कृषि निदेशक के हस्ताक्षर होने के उपरान्त सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम तथा सत्यापन का दिनांक पोर्टल पर अंकित करेंगे।

- VII. सम्बन्धित फर्म द्वारा स्थापित सोलर पम्प के मूल्य का बिल केन्द्रांश, राज्यांश एवं कृषक अंश का विवरण बिल में अंकित करते हुए तीन प्रतियों में जनपदीय उप कृषि निदेशक को उपलब्ध कराया जायेगा। बिलों पर उप कृषि निदेशक की भुगतान हेतु सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु जे0सी0आर0 पर पूर्व व्यवस्था के अनुसार संबन्धित द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।
- VIII. फर्म द्वारा क्षमतावार स्थापित सोलर पम्पों का स्काडा पोर्टल पर आर0एम0एस0 इन्टीग्रेशन करते हुए साफ्टवेयर जनरेटेड स्थापना रिपोर्ट, आपरेशन एण्ड मेन्टीनेन्स मैनुएल की हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकित प्रति कृषक को प्राप्त करान का प्रूफ, हैडिंग ओवर सर्टिफिकेट, आर0एम0एस0 से प्राप्त एक सप्ताह की कुशल संचालन की रिपोर्ट संबन्धित उप कृषि निदेशक को उपलब्ध करायी जायेगी।
- IX. फर्म द्वारा बिल की एक प्रति पृथक से सम्बन्धित कृषक को भी उपलब्ध करायी जायेगी। सत्यापन के उपरान्त उप कृषि निदेशक द्वारा बिल समस्त सम्बन्धित के हस्ताक्षर सहित हैडिंग ओवर सर्टिफिकेट, स्थापित पम्प की कृषक के साथ फोटोग्राफ, जे0सी0आर0 तथा कृषक का फोटोयुक्त आई0डी0 की हार्ड कापी तथा आर0एम0एस0 आदि संबन्धित रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी। पोर्टल पर सत्यापनकर्ता का नाम, पदनाम तथा सत्यापन का दिनांक अंकित किया जायेगा साथ ही निम्न प्रारूप पर सत्यापन आख्या भी उप कृषि निदेशक द्वारा पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

सत्यापन का प्रारूप

कृषक का नाम विभागीय पंजीकरण संख्या.....

1. सत्यापन के समय सोलर पम्प मौके पर स्थापित पाया गया।
2. सोलर पम्प क्रियाशील स्थिति में पाया गया।
3. कृषक द्वारा कृषक अंश हेतु बैंक से ऋण प्राप्त किया गया है (हाँ या नहीं), यदि हाँ तो बैंक का नाम..... शाखा..... आई0एफ0एस0सी0 कोड.....।

सोलर पम्प को सत्यापित कर भुगतान की संस्तुति की जाती है।

नाम एवं हस्ताक्षर

उप कृषि निदेशक.....जनपद.....

उप कृषि निदेशक के स्तर से आनलाइन सत्यापन प्राप्त होने पर योजनाधिकारी द्वारा स्थापित सोलर पम्पों का भुगतान एम0एन0आर0ई0 की गाइडलाइन/टेण्डर में निहित शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

- X. स्थापित सोलर पम्पों के राज्यांश की धनराशि का भुगतान मुख्यालय स्तर पर कोषागार के माध्यम से तथा एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार द्वारा आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लि0, राणाप्रताप मार्ग शाखा, लखनऊ में उपलब्ध धनराशि से केन्द्रीय अनुदान की धनराशि का भुगतान कृषि निदेशक, उ0प्र0 से भुगतान की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त सम्बन्धित संस्थाओं को निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नोडल अधिकारी (पी0एम0-कुसुम) एवं वित्त नियंत्रक के संयुक्त हस्ताक्षर से सम्बन्धित बैंक के माध्यम से सम्बन्धित फर्म को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया जायेगा। कृषक अंश की धनराशि का भुगतान कृषि निदेशक, उ0प्र0 से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त सम्बन्धित संस्थाओं को नोडल अधिकारी(पी0एम0-कुसुम) एवं वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी(प्रसार), कृषि भवन, लखनऊ के संयुक्त हस्ताक्षर से सम्बन्धित बैंक के माध्यम से सम्बन्धित फर्म को आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से किया जायेगा। भुगतान की प्रविष्टि सम्बन्धित खाते के पासबुक में करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- XI. कृषि विभाग द्वारा एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार को केन्द्रांश का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित किया जायेगा।

11-मानव संसाधन:-

योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु पोर्टल से सम्बन्धित कार्यों हेतु एक कम्प्यूटर/डाटा इंटीग्रेटेड आपरेटर तथा एक चतुर्थ श्रेणी कार्मिक का चयन आउटसोर्सिंग द्वारा संविदा के आधार पर जेम पोर्टल से कृषि विभाग द्वारा चयनित फर्म के माध्यम से किया जायेगा। कम्प्यूटर/डाटा इंटीग्रेटेड आपरेटर एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिक की शैक्षिक योग्यता एवं मानदेय क्रमशः पारदर्शी किसान सेवा योजना तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना में दिये गये मानक के अनुसार होगी।

12-निगरानी एवं रखरखाव:-

आपूर्तिकर्ता फर्म को सोलर पम्प की स्थापना के उपरान्त पाँच वर्ष के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध किया जाना अनिवार्य होगा, जिसमें स्थापित सोलर पम्प की बीमा धनराशि भी सम्मिलित है। अनुबंध में सम्बन्धित फर्म को तीन माह में एक बार स्थापित सोलर पम्प का निरीक्षण भी किया जायेगा तथा निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित रूप पत्र पर जनपदीय उप कृषि निदेशक को उपलब्ध कराया जायेगा। समय से स्थापित सोलर पम्पों के मरम्मत एवं रखरखाव हेतु सम्बन्धित फर्म द्वारा प्रत्येक जनपद में अधिकृत सेवा केन्द्र की स्थापना के साथ हिन्दी/अंग्रेजी में हेल्पलाइन नम्बर भी निर्गत किया जायेगा। हेल्पलाइन नम्बर, पम्प अथवा कन्ट्रोलर के उपयुक्त स्थान पर अंकित किया जायेगा जो सोलर पम्प के उपयोगकर्ता को आसानी से दिखाई दे।

13-योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण:-

योजना के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर उप कृषि निदेशक उत्तरदायी होंगे तथा इसका अनुश्रवण मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा किया जायेगा। सोलर पम्प की स्थापना के उपरान्त अधिकारियों द्वारा समय से सत्यापन किया जाये। इस हेतु विलम्ब के लिए सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाये, जो भी अभिलेख/सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होनी है, वह आनलाइन प्राप्त किये जायेगे।

14-अन्य निर्देश:-

- I. विभिन्न फर्मों के मध्य सोलर पम्पों की स्थापना हेतु जनपदों का निर्धारण, भारत सरकार के मिनिस्ट्री आफ न्यू एण्ड रिन्यूवेबल एनर्जी के पत्र संख्या-32/645/2017-एस.पी.वी. डिवीजन, दिनांक 22.07.2019 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा।
- II. सोलर पम्प का वर्ष में लगभग 150 दिन ही सिंचाई कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। वर्ष के शेष अवधि में सोलर ऊर्जा का उपयोग "यूनीवर्सल सोलर पम्प कन्ट्रोलर" का प्रयोग कर अन्य कार्य जैसे- चारा कटिंग मशीन, आटा चक्की, शीतगृह, बैट्री चार्ज करना आदि कार्यों में भी किया जा सकता है। यूनीवर्सल सोलर पम्प कन्ट्रोलर एवं सोलर पम्पिंग सिस्टम के अतिरिक्त मूल्य के भुगतान का विकल्प कृषक को देना होगा तथा समस्त अतिरिक्त मूल्य का भुगतान कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
- III. योजना के सफल क्रियान्वयन एवं कृषकों में योजना के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से योजना का प्रचार-प्रसार भी किया जायेगा।
- IV. योजना अधिकारी द्वारा भारत सरकार के मिनिस्ट्री आफ न्यू एण्ड रिन्यूवेबल एनर्जी से प्राप्त केन्द्रांश तथा टोकन के माध्यम से प्राप्त कृषक अंश की धनराशि का भुगतान बैंक के माध्यम से तथा राज्य से राज्यांश बजट के माध्यम से प्राप्त कर मुख्यालय स्तर से ही समस्त भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- V. योजना अधिकारी प्रत्येक माह योजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा कृषि निदेशक एवं शासन को प्रगति से अवगत करायेगें।
- VI. उप कृषि निदेशक/मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा सोलर पम्पों की स्थापना से लाभों/प्रगति विषयक (सामाजिक/आर्थिक) "सफलता की कहानियों" को संग्रहीत की जायेगी तथा समय-समय पर मुख्यालय को फोटोग्राफ सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

15- योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन:-

सोलर पम्प की स्थापना के उपरान्त इसके अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु रेन्डम आधार पर 5 प्रतिशत सत्यापन जनपदीय उप कृषि निदेशक, 2 प्रतिशत मण्डलीय अभियन्ता एवं मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक तथा मुख्यालय से नामित टास्क फोर्स अधिकारियों द्वारा कम से कम 01 सोलर पम्प का सत्यापन किया जायेगा। रेन्डम आधार पर सत्यापन करते समय यह ध्यान रखा जाये कि सत्यापन हेतु चयनित सोलर पम्प पूर्व में किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस प्रकार सत्यापित न किया गया हो। आशय यह है कि रेन्डम आधार पर सत्यापन हेतु नवीन सोलर पम्प का चयन हो, जिससे अधिक से अधिक संख्या में रेन्डम सत्यापन हो सके। योजना का मूल्यांकन 03 वर्षों के पश्चात थर्ड पार्टी से स्वतंत्र रूप से कराया जायेगा।

2- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0-कुसुम) योजनान्तर्गत पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-51/2023/608/2378737/2023/12-5099/24/2022, दिनांक 19.05.2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। कृपया उपर्युक्तानुसार कार्ययोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
रवि रंजन
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्ता।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
 - 2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
 - 3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
 - 4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
 - 5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवीनीकरण एवं ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
 - 6- मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
 - 7- निदेशक, नवीन एवं नवीनीकरण एवं ऊर्जा मंत्रालय(एम0एन0आर0ई0), लोधी रोड, नई दिल्ली।
 - 8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
 - 9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
 - 10- निदेशक, नेडा, गोमतीनगर, लखनऊ।
 - 11- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
 - 12- अपर कृषि निदेशक (तिलहन/दलहन), कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - 13- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
 - 14- सहायक निदेशक (समन्वय एवं कम्प्यूटर), कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पोर्टल पर व्यवस्था करने हेतु।
 - 15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवि रंजन
विशेष सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।